

प्र.क. R PBR/2016

प्रस्तुति दिनांक 20/04/2016

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

कैम्प इन्दौर

प्र.ग - 1299-PBR-16

1. धर्मेन्द्र पिता बोंदरसिंह नाबालिक तर्फे संरक्षक
पिता श्री बोंदरसिंह पिता हिन्दूसिंह सिसोदिया
निवासी - ग्राम मायाखेड़ी तह. व जिला इन्दौर
2. विजय पिता स्व. राजेन्द्रसिंह नाबालिक तर्फे संरक्षक
माता श्रीमती रेखाबाई पति स्व. राजेन्द्रसिंह
निवासी - ग्राम मायाखेड़ी
तह. व जिला इन्दौर

.....प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. मेहरबानसिंह पिता हेमसिंह
2. हुकुमसिंह पिता हेमसिंह
3. कमलसिंह पिता हेमसिंह
सभी निवासी-ग्राम अजनोटी तह. हातोद
जिला इन्दौर
- प्रतिप्रार्थीगण/विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्तागण तर्फे सादर निवेदन है कि,
इसमें अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग
इन्दौर द्वारा प्र.क. 249/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक
13.04.2016 जिसके द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र
निरस्त किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित व असंतुष्ट होकर
प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की है।


प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम बड़ोदिया तहसील


21.4.2016

प्रस्तुतकार

आवेदकगण की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव आभीभाषक उपास्थित) ग्राह्यता पर सुना गया। अतः तर्क है कि प्रस्तावित भूमि आवेदकगण द्वारा पंजीकृत विद्युत पत्र से वृत्त को जाई



अभियंता
21/04/2016

है, और अपर आमुक्त द्वारा स्वगत नहीं है से आवेदक शर्तों का विद्युत का है दो, जिससे जहाँ आवेदकगण को अपूर्णनीय सारि होगी वही अपर आमुक्त के समस्त प्रचलित अपीच निर्दिष्ट हो जायेगी। अतः अनुकूलनीय आधिकारी लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.12.2015 का क्रियान्वयन तीन माह के लिये स्थगित किया जाकर अपर आमुक्त को निर्दिष्टित किया जाना है कि तीन माह में प्रकण का निराकरण करें।

कान आदेश कमी
जाएगी

अभियंता

2/ इस प्रकण में कार्यवाही शीघ्र नहीं होने से समाप्त किया जाता है।




अध्यक्ष